राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1880/2024 घनश्याम सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)। 3. आयुक्त एवं निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजूकेशन सोसायटी राजमेस, गोविंद मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)। 4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर (राज.)।	28.05.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक एवं श्री विष्णु दयाल शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2.	1881/2024 श्योबक्साराम			
3.	1882/2024 सुरेन्द्र कुमार शर्मा			
4.	1877/2024 राजकिशोर शर्मा			
5.	1878/2024 दीनदयाल शर्मा			
6.	1879/2024 राकेश कुमार दीक्षित			

आदेश की दिनांक : 25.09.2024

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1880/2024 घनश्याम सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.05.2023 में नियत पारिश्रमिक रूपये 26100/– की दर से दिनांक 01.06.2023

से 11.03.2024 तक का बकाया पारिश्रमिक/वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे और अपीलार्थी को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय क्लर्क के पद पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर (राज.) में निरंतर कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 31.05.2024 को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था लेकिन जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रत्यर्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय क्लर्क के पद पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर (राज.) में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2023 को जारी कर विभिन्न स्वीकृत पदों पर लगाने के लिये राज्य सरकार के अधीन बोर्ड/निकाय/स्वायत्तशासी संस्थान के सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसमें आदेश दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को समेकित मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 26100/– पर चयन कर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई और आदेश की पालना में अपीलार्थी ने वर्तमान स्थान पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी दिनांक 01.06.2023 से निरंतर उपस्थित रहते हुये कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा, जिसकी सूचना प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा दिनांक 23.06.2023 को पत्र प्रेषित कर विभाग को प्रेषित की गई। अपीलार्थी ने अनेको बार वेतन भुगतान के संबंध में अभ्यावेदन दिया, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी की पुनर्नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2023 को जारी परिपत्र के दिशा–निर्देशों पर की गई है, जिसमें समेकित पारिश्रमिक राशि रूपये 26100/– निर्धारित की गई, इसके बावजूद अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी को बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाना उक्त दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.05.2023 में नियत पारिश्रमिक रूपये 26100/– की दर से दिनांक 01.06.2023 से 11.03.2024 तक का बकाया पारिश्रमिक/वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे और अपीलार्थी को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय क्लर्क के पद

पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर (राज.) में निरंतर कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय क्लर्क के पद पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर (राज.) में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को समेकित मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 26100/– दिनांक 01.06.2023 से 11.03.2024 तक का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, कार्यालय आदेश दिनांक 30.05.2023 (अनुलग्नक–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 164 के प्रावधान के अंतर्गत कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 11.07.2017 एवं परिपत्र के आधार पर निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर 6 माह अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने कांट्रेक्टच्युअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के अनुसार पद भरे जाने तक अथवा 6 माह की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, तक के लिये पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाती है, जिसमें अपीलार्थी का भी नाम उक्त आदेश में अंकित है। परंतु उक्त नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी को पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने सेवायें प्रदान की हैं। परंतु अपीलार्थी को समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया, जिसके संबंध में संबंधित कार्मिकों द्वारा पत्र दिनांक 15.02.2024 लिखा गया और परंतु अपीलार्थीगण उक्त पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया जो उक्त सेवा नियमों के विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थीगण दिनांक 01.06.2023 से 11.03.2024 तक का बकाया समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थीगण की सेवायें जितनी अवधि की हैं, उनकी उक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार नियमानुसार गणना करते हुये उन्हें उक्त नियम एवं शर्तों के आधार पर जिस पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है एवं जो सेवायें ली गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण को नियमानुसार उक्त अवधि का समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान अविलम्ब किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश की दिनांक से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

अतः उक्त निर्देशों के साथ शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र, अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1880/2024 घनश्याम सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष